(6)

प्रतिवेदन

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग (लम्बाई 2.00 किमी0) का निर्माण।

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून हेतु वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0– 767(1)/III(2)/12–48 (प्रा0आ0)/12 दि0 01.02.2013 द्वारा 2.00 किमी0 हेतु रू0 25.20 लाख की प्राप्त है।

यह लिंक मार्ग अल्मोड़–घाट मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित लिंक मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी। इस मोटर मार्ग का मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा से जोड़ना/उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को बाजार तक पहुँचाना तथा इस क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करना है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	तोली	332
2	जालबगड़ी	59
3	मैचून	249
	योग	640

यह समरेखन आरक्षित भूमि, सिविल बेनाप भूमि (राज्य भूमि), वन पंचायत भूमि से होकर गुजरता हैं तथा अन्य किसी भी श्रेणी की वनभूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नही पड़ता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल बेनाप भूमि 0.215 है0 प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ यह भूमि न्यूनतम है। मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गयी है। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता/ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त है।

अतः प्रस्तावित आरक्षित भूमि, सिविल बेनाप भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
अल्मोड़ा

प्रपत्र-3

(13)

१९प्रति-1/13

संख्याः– 767 / III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 01 फरवरी, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 27.50 किमी0 तथा लागत ₹ 348.18 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 348.18 लाख (₹ तीन करोड़ अड़तालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 07 कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2013 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि संलग्न कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)– उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.70 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:– S1302220016 दिनांक 01–02–2013 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0– 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 933(A) / XXVII/(2)/2012 दि0: 01फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः– (1) / 111(2) / 13–48(प्रा0आ0) / 2012 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

प्रपत्र–4

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

राजस्व विभाग / वन विभाग / लो0नि0विभाग

परियोजना का नाम – जनपद–अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लं02.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18-01-2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दिवान सिं बिष्ट राजस्व विभाग त्रिलोक चन्द्र भट्ट (पटवारी) प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री गोविन्द सिंह कनवाल द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित –, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.215 हे0, आरक्षित वन भूमि – हे0 वन पंचायत – नाप भूमि 1.585 कुल 1.8 हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि0सो0
वन प्रभाग अल्मोडा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

03-4-14
तहसीलदार
भनोली

तहसीलदार
अल्मोड़ा

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - नाकोट,
त०-अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी सदर,
अल्मोड़ा

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

प्रपत्र–8

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्र ..., सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र–9

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण –पत्र

संरेखण नं0	प्रभावित वन भूमि (हे0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू–गर्भीय कारण)
संरेखण–1	0.215	11	2.00	4 एच.पी.बैण्ड
संरेखण–2	0.425	25		भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अस्थायित्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निरस्त किया गया। इस समरेखन में 9 एच0पी0बैण्ड आने के कारण तथा लम्बाई बढने से अनुपयुक्त पाया गया।

उक्त दोनों संरेखणों में से संरेखण 1 उपयुक्त है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्र ..., सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र–10

42

परियोजना का नाम – जनपद–अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण। (ल० 2.00 किमी०)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित ....0.215.... हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि0सो0
वन प्रभाग अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

03-4-14
तहसीलदार
भनोली

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - ...
तह० - ... (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी सदर
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
तहसीलदार
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा.

प्रपत्र–11

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
–शून्य–						

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रपत्र – 11·1

(48)

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

परियोजना का नाम – जनपद–अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (ल० 2.00 किमी०)

जिला	तहसील	ब्लाक /ग्राम	खसरा सं0 /भूमि का प्रकार	कुल रकवा		याचित क्षेत्रफल (हे0)
				नाली	मुट्ठी	
अल्मोडा	अल्मोडा	जालबगडी	सिविल बेनापभूमि (राज्य भूमि	4	5	0.08625
		मैचून	,,	6	7	0.12875
				10	12	0.215

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा
03-4-14

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि0सो0
वन प्रभाग अल्मोडा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोडा

तहसीलदार
अल्मोडा

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - नाकोट,
तह०-अल्मोडा (अल्मोडा)

प्रपत्र–12

प्रपत्र–12

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि 4 नाप भूमि	-	-	-
2	सिविल सोयम भूमि	238.90	9	0.215
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो) वन भूमि का योग	-	-	-
4	नाप भूमि	1761.10	9	1.58
	कुल योग–	2000	9	1.80

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोडा

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र 36

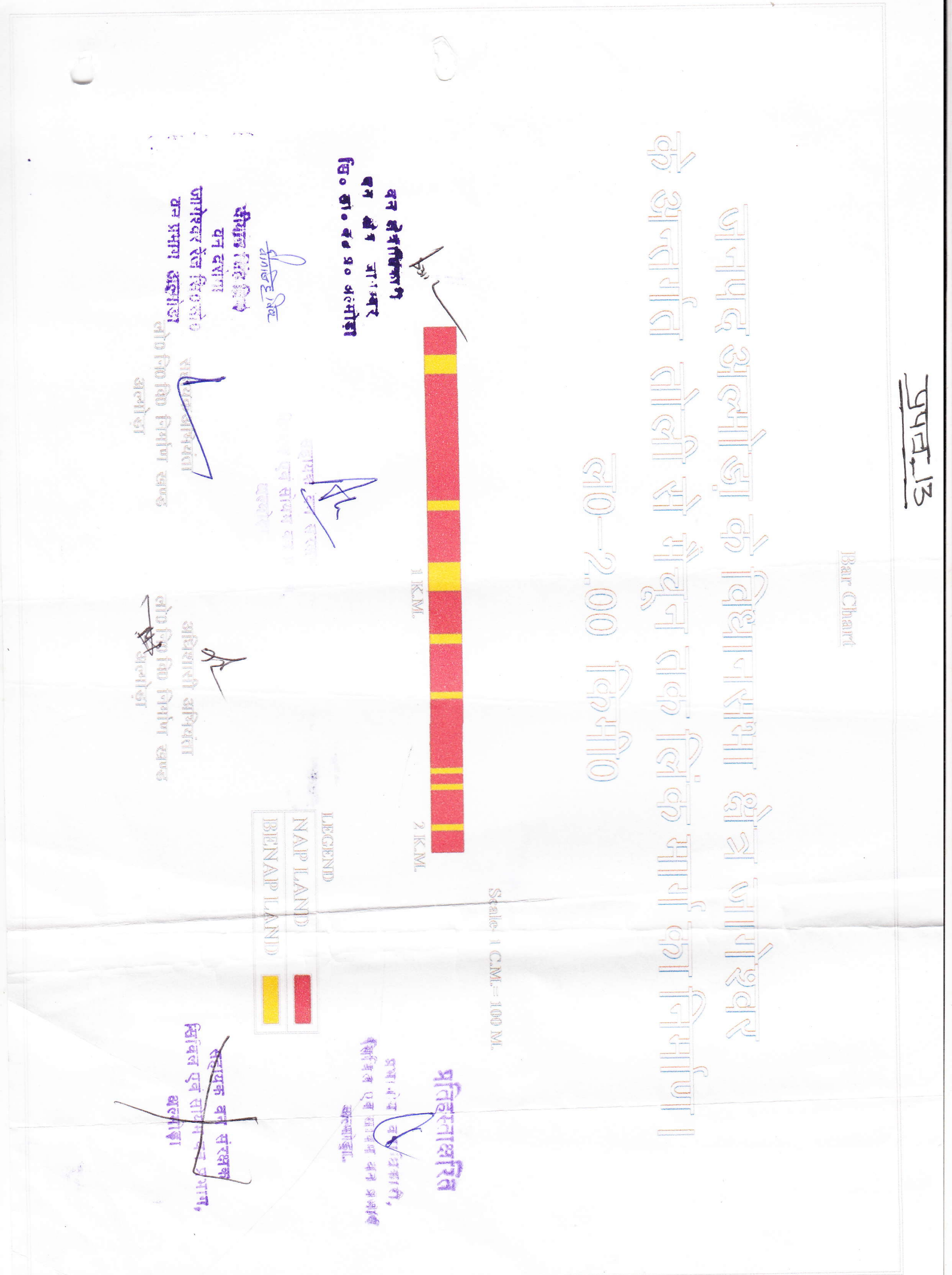

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोडा में जनपद–अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 कि0मी0) के सापेक्ष गुरड़ाबाज सिविल ....क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि0सो0
वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा.

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि0 सो0 वन प्र0 अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

46

परियोजना का नाम – जनपद–अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण। (ल०2.00 किमी०)

वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.215 हे0 वन भूमि की देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

[illegible] सिंह बिष्ट
वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि०सो०
वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रपत्र–38

परियोजना का नाम :– तोली से मैचून मोटर मार्ग (लम्बाई 2.00)

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से सड़क के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :– किमी0 2.00

रोपित किये जनो वाले पौधों की संख्या 200 पौध प्रति किमी0 200 200

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (किमी0 / सं0)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00	97.00	97.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	1.00	584.00	584.00
3	फेन्सिग / ट्री गार्ड	200	800.00	160000.00
4	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	200	7.33	1466.00
5	पौधों का मूल्य	200	5.89	1178.00
6	अन्य कार्य	1.00	1000.00	1000.00
	योग :– (प्रथम चरण)			**164325.00**
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	200	1.15	230.00
2	पौधों का मूल्य	200	1.15	230.00
3	पौध ढुलान कार्य	200	6.39	1278.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	200	2.06	412.00
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	200	0.76	152.00
6	खाद व दवा पर व्यय	200	0.22	44.00
7	वृक्षारापण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 Month	5960.00	47680.00
8	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन क्रय करना	1.00	100.00	100.00
9	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			**50226.00**
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थो को हटाना प्रति हे0	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रात्साहन देना	1.00	310.00	310.00
3	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (प्रथम वर्ष रख–रखाव)			**72505.00**

	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (द्वितीय वर्ष रख–रखाव)			71620.00
	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (तृतीय वर्ष रख–रखाव)			71620.00
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (चतुर्थ वर्ष रख–रखाव)			71620.00
	वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (पंचम वर्ष रख–रखाव)			71620.00
	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (छठे वर्ष रख–रखाव)			71620.00
	वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Months	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	1.00	100.00	100.00
	योग :– (सातव वर्ष रख–रखाव)			71620.00
	कुल योग :–			716776.00
	या :–			716700.00

नोट :– उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तह ही मानी जायेगी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा.

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

(24)

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (ल० 2.00 किमी०)

<u>रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा

03-4-14

[illegible]
भनोली

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि०सो०
वन प्रभाग अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी सदर
अल्मोड़ा

राजस्व उप निरीक्षक
[illegible]
[illegible] अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा

प्रपत्र–39

परियोजना का नाम :– तोली–मौचून मोटर मार्ग (लम्बाई 2.00)

काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख–रखाव

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :– गुरूड़ाबांज सिविल   किमी0 2.00

रोपित किये जनो वाले पौधों की संख्या 110 प्रति किमी0   110

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (है0/सं0)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.00	97.00	194.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	2.00	584.00	1168.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेंन्सिग)	2.00	26460.00	52920.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एव संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान	2.00	7750.00	15500.00
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	110	7.33	806.30
6	निरीक्षण बटिया बनाना	2.00	485.00	970.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	110	5.89	647.90
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	2.00	400.00	800.00
9	अन्य कार्य	1.00	200.00	200.00
	योग :– (प्रथम चरण)			**73206.20**
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	110	1.15	126.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	110	1.15	126.50
3	पौध ढुलान कार्य	110	6.39	702.90
4	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	110	2.06	226.60
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	110	0.76	83.60
6	खाद व दवा पर व्यय	2.00	420.00	840.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8Month	5960.00	47680.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.00	350.00	700.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	2.00	225.00	450.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूगता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्सान देना	2.00	400.00	800.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेटेशन आदि कार्य	2.00	700.00	1400.00
10	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग (द्वितीय चरण)			**53536.10**
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थो को हटाना प्रति है0	2.00	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	2.00	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रात्साहन देना	2.00	200.00	400.00
3	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (प्रथम वर्ष रख–रखाव)			**73470.00**
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (द्वितीय वर्ष रख–रखाव)			**71920.00**
	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (तृतीय वर्ष रख–रखाव)			**71920.00**
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (चतुर्थ वर्ष रख–रखाव)			**71920.00**
	वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (पंचम वर्ष रख–रखाव)			**71920.00**
	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (छठे वर्ष रख–रखाव)			**71920.00**
	वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	5960.00	71520.00
2	अन्य कार्य	2.00	200.00	400.00
	योग :– (सातव वर्ष रख–रखाव)			**71920.00**
	कुल योग :–			**631732.30**
	या :–			**631700.00**

नोट :– उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तह ही मानी जायेगी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा.

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
(उ० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम
अल्मोड़ा

प्रपत्र–15

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 18-01-14 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क्रसं0	वन ब्लाक / कम्पाटमेन्ट	प्रजाति	व्यास वर्ग				योग
			10–20				
–शून्य–							

प्रयोक्ता एजेन्सी — सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित — प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्र जागेश्वर, सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र–15.1

परियोजना का नाम :– :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्रसं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग				योग
			10–20	20–30	30–40	40–50	
1			–	–	–	–	–

10-9-14

तहसीलदार भनोली

तहसीलदार/उप जिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी (रा0 अधिकारी) वन क्षेत्र जागेश्वर, सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित — (प्रभागीय वनाधिकारी) सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

उप जिला अधिकारी, भनोली (अल्मोड़ा)

पान सिंह बिष्ट, वन दरोगा, पनुवानौला अनुभाग

सहायक वन संरक्षक, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र–15.2

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्रसं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग				योग
			10–20	20–30	30–40	40–50	

10-9-14

तहसीलदार

अनोली

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्र जागेश्वर

सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग

अल्मोड़ा.

तहसीलदार (राजि अधिकारी) (प्रभागीय वनाधिकारी) ~~(वन संरक्षक)~~

उप जिला अधिकारी,

भनोली (अल्मोड़ा)

वीरसिंह बिष्ट

वन दरोगा

फकुवीतोला अनुभाग

सहायक वन संरक्षक

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग

अल्मोड़ा

प्रपत्र–15.3

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्रसं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग				योग
			10–20	20–30	30–40	40–50	
1	मैचून नाप भूमि	चीड़– Pine	2	3	4	2	11
	योग–	—	2	3	4	2	11

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

10-9-14

तहसीलदार

भनोली

तहसीलदार

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्र जागेश्वर

राजि अधिकारी

सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा.

उप जिला अधिकारी,

भनोली (अल्मोड़ा)

वीरसिंह बिष्ट

वन दरोगा

फकुवीतोला अनुभाग

सहायक वन संरक्षक

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,

अल्मोड़ा

प्रपत्र–15.4

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं0	क्षेत्र का नाम	व्यास वर्ग				योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	
1	आरक्षित वन भूमि	–	–	–	–	–
2	सिविल सोयम	–	–	–	–	–
3	वन पंचायत	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–
4	नाप भूमि	2	3	4	2	11
	कुल योग	2	3	4	2	11

राजि अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्र जागेश्वर, सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कौनसिंह बिष्ट
व०प०
पनुवानौला अनुभाग

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रपत्र–15.5

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 11 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 11 वृक्षों का पातन किया जाना है।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर, सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कौनसिंह बिष्ट
व०प०
पनुवानौला अनुभाग

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रपत्र–16

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दिनांक .... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज के वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्रसं0	प्रजाति	व्यास वर्ग				योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	
–शून्य–						

ह0/–
वन संरक्षक,

प्रपत्र–17

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 11 है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

परियोजना प्रस्तावक
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रपत्र–17.1

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा।

प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा